MOST IMMEDIATE

GOVT.OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION
B-WING 2nd FLOOR-SHAM NATH MARG: DELHI

NO.DHE.-9(11)/2010-11/Post Matric Scholarship/ 6270-76 Dated 24/11/X

To,

1. The Registrar,
   GGSIP University,
   Kashmere Gate, Delhi-6
2. The Registrar,.
   Dr. B.R.Ambedkar University
   Sector-9, Dwarka, New Delhi
3. The Registrar,
   National Law University,
   Sector-14, Dwarka,
   New Delhi
4. The Registrar,
   Delhi University ,
   Delhi
5. Registrar,
   IGNOU, Delhi
6. Registrar,
   Jamia Millia Islamia University
7. Registrar,
   Jawahar Lal Nehru University

Subject: Post Matric Scholarship-2010-11

Sir/Madam,

Please find enclosed herewith the copy of advertisement published by Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Minorities for inviting application for grant of Post Matric Scholarship 2010-11 from students studing in various Colleges/Institutes which are recognized and affiliated to Jamia University, Indraprstha university, Jawaharlal Nehru University, IGNOU, Delhi University etc. with the request to circulate the same in all the Colleges/Institutes falling under your jurisdiction.

All head of Colleges/Institutes may be directed to forward the application forms of all eligible students only (consolidated list-one time only) in the enclosed proforma (Annexure A) in the soft copy(CD) as well as hard copy along with relevant documents required according to advertisement published by Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Minorities and after thoroughly scruitnizing. A check list in this regard may also be submitted as under:-

1. Application Form-Photograph of students affixed & signed in prescribed format only
2. Prescribed Proforma- duly forwarded by the respective head of College/Institute with signature & stamp.
3. Caste certificate issued by SDM, GNCT of Delhi- Attested by Gazetted officer

4. Income Certificate issued by SDM, GNCT of Delhi- Attested by Gazetted officer
5. The student must have passed the previous Class. Certificate of last examination passed- Attested by Gazetted officer
6. Certificate from Competent Authority in case of Hosteller student
7. Certificate of recognition/affiliation of Private College/Institutes by Government be attached.
8. Certificate that the student concerned fulfills all the eligibility conditions advertisement published by Department for the Welfare of SC/ST/OBC.
9. Certificate to the effect to whom favour Cheques are required to be issued for disbursement of Post Matric Scholarship
10. Particulars of students may be submitted in CD in excel form.
11. Certificate by All Head of Colleges/Institutes mentioning that the students concerned are not getting any other scholarship/stipend. Students who have applied for Merit Scholarship are not eligible under scheme.
12. All the Principal/Head of College/Institutes may ensure & certify to this scheme that in case of professional course it is available to only those students who are admitted against 'free seats' whether in Govt. or private institutions & also in case of private Institutions where admission is on the basis of 12th standard examination marks, there shall be a bench mark of 60% for availing the scholarship.

All Head of Colleges/Institutes may also be informed that no individual application forms will be received from student concerned.

This may be treated as **MOST URGENT**.

Yours faithfully

(VIJENDER KUMAR)
ASSTT.DIRECTOR (PLG.)

Copy to:-

1. The Assistant Programmer, Directorate of Higher Education.

24/11/10

(VIJENDER KUMAR)
ASSTT.DIRECTOR (PLG)

अनुसूचित ज ति, ज जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

द्वितीय तल, बी ब्लॉक, विकास भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली–110002 फोन : 23379511–12

ईमेल : sccscstdel@nic.in, वेबसाइट : www.scstwelfare.delhigovt.nic.in

www.scstwelfare.delhigovt.nic.in अंतिम तिथिः 14.12.2010

दिल्ली एवं दि ल्ली से बाहर किंतु भारत में ही पढ़ रहे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ वर्ग व छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (2010–2011.)

मह त्वपूर्ण सूचना : आवेदन प्रपत्र कहा जमा करें

1. सरकारी एवं अनुदान प्राप्त विद्याल यों के प्रमुख पात्र छात्रों का समेकित विवरण अग्रसारित करें। (कक्षा XI और XII) तथा संबंधित उपायुक्त शिक्षा, दिल्ली को।
2. मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल / केंद्रीय विद्यालय / दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत स्कूलों के प्रमुख पात्र वि द्यार्थियों (कक्षा XI तथा XII) का समेकित विवरण इस विभाग को अग्रसारित करें।
3. दिल्ली विश्वविद्यालय / जामिया विश्वविद्यालय / इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय / जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्ग त आने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडीकल कॉलेज के प्रमुख पात्र छात्रों का समेकित विवरण उच्च शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दि ल्ली सरकार, 5, शामनाथ मार्ग, दिल्ली को अग्रसारित करें।
4. पॉलीटेकनीक के प्रमुख पात्र छात्रों का समेकित विवरण तकनीकी शिक्षा निदेशालय, मुनि माया राम मार्ग पीतमपुरा दिल्ली को अग्रसारित करें।
5. दिल्ली से बाहर किंतु भा रत में ही पढ़नेवाले विद्यार्थियों से संबंधित कॉलेजों व संस्थानों के प्रमुख पात्र छात्रों का समेकित विवरण इस विभाग को आवेदन प्रपत्र के साथ अ ग्रसारित करें।

अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पात्रता की शर्तें

1. अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के केवल ऐसे विद्यार्थी जिनके पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र है इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।
2. छात्रवृत्ति ऐसे सभी अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उपलब्ध है जिनके माता–पिता / अभिभावकों की सभी स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय एक लाख से अधिक नहीं है, ऐसे सभी अनुसूचित जनजाति के छात्र जिनके माता–पिता / अभिभावकों की सभी स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय रु. 1,08,000/- से अधिक नहीं है एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे सभी छात्र जिनके माता–पिता / अभिभावकों की सभी स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय रु. 44,500/- से अधिक नहीं है एवं जो शिक्षा सत्र 2010–11 में उच्चतर माध्यमिक स्तर के बाद की शिक्षा दिल्ली से बाहर किंतु भारत में ही (कॉलेज / इंस्टीट्यूशन / विश्वविद्यालय) सरकारी / मान्यताप्राप्त संस्थानों में प्राप्त कर रहे हैं।
3. पात्राचार के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र भी पात्र हैं।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के माता–पिताओं के संबंध में यह छात्रवृत्ति दो से अधिक छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि यह रोक कन्या छात्रों के लिए लागू नहीं होगी। इस प्रकार की कोई कोई रोक अनुसूचित जाति / जन जाति के छात्रों के लिए भी नहीं है।
5. (i) पारिवारिक आय के लिए सरकारी सेवारत अभिभावकों की अद्यतन वेतन–पर्ची तथा अन्य स्रोतों से होने वाली पारिवारिक आय के लिए नोटरी द्वारा शपथपत्र मान्य होगा। (ii) यदि माता–पिता / अभिभावक प्राइवेट नौकरी करते हैं तो संबंधित एस.डी.एम. द्वारा आय प्रमाणपत्र।
6. आवेदन केवल निर्धारित प्रपत्र में ही जमा कराया जाना चाहिए।
7. सभी समर्थक दस्तावेज किसी राजपत्रित अधिकारी से अनुप्रमाणित होने चाहिए।
8. विद्यालय / कॉलेज / इंस्टीट्यूट की ओर से इस आशय का प्रमाणपत्र होना चाहिए कि विद्यार्थी को अन्य कोई छात्रवृत्ति / वजीफा नहीं मिल रहा है। जिन विद्यार्थियों ने मेरिट स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है वे इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं।
9. आवेदन पर इंस्टीट्यूट के प्रमुख का विधिवत हस्ताक्षर व मोहर होनी चाहिए।
10. आवेदन प्रपत्र में पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि, कक्षा के प्रारंभ व पाठ्यक्रम के समापन की तिथि स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए।
11. आवेदन के साथ पहले पास की परीक्षाओं से संबंधित डिप्लोमा, डिग्री आदि की अनुप्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न होनी चाहिए। यदि छात्र छात्रावास में रहता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छात्रावास प्रमाणपत्र भी होना चाहिए।
12. आवेदन के साथ रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र भी होना चाहिए।
13. गैर सरकारी विद्यालयों / कॉलेजों / इंस्टीट्यूशनों का केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा जारी मान्यता / संबद्धता प्रमाणपत्र भी आवेदन के साथ होना चाहिए।
14. केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत फीस–स्ट्रक्चर की अनुप्रमाणित प्रति।
15. प्रत्येक छात्र के संबंध में विद्यालय / कॉलेज / विश्वविद्यालय / इंस्टीट्यूट की फीस की रसीद आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

आवेदन प्रपत्र कहां से प्राप्त करें

आवेदन प्रपत्र, समेकित विवरण (संबंधित विद्यालय / कॉलेज / इंस्टीटूशन के प्रमुख द्वारा भरने के लिए) इलेक्ट्रोनिक क्लियरिंग सर्विस प्रपत्र (संबंधित विद्यार्थियों व कॉलेज / इंस्टीट्यूशन के लिए) व छात्रवृत्ति के मूल्य का ब्योरा (अनुसूचित जाति / जनजाति) विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है तथा इसे इस विभाग के काउंटर से भी किसी भी कार्यदिवस में अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे के बीच प्राप्त किया जा सकता है।

एक बार आवेदन करने के बाद छात्र अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए विभाग की वेबसाइट पर लॉगऑन कर सकते हैं।

DIP/1177/10-11

ANNEXURE A

S. No.	Name of student/ College	Father's/ Mother's Name	Class	Year	Cat.	Fee	M. C.	Amount

Signature
Head of College/Institute